


25.04.24 पत्रावली देना। वकील उमयदहा उम। वरु
 सुनी गरी। वरु पर मकन करे एके पत्रावली
 का अंशकन करे फल जमीन का जगपत्र
 स्वीकार योग्य होके पर स्वीकार किया जाके
 पक्षकारण से ताकि सला मूल वरु करिये अर्थात्
 सिधे धारा पावन्स क्रिया जारा है कि वह पूर्व में
 जारी करारन सला सिधे धारा अनुक्रम कृपि
 कृपि सी सिधे धारा यथापरिचरि बलप रहे।
 विम्वरु निर्णय पृथक से लिखा जाके संलग्न
 किया गया। पत्रावली का उवरीक वरुनी कथोप
 साकत सल्ल है।

निर्णय लिखमा साके सुले न्यायालय में
 सुलमा गया।


 (मंगल ~~का~~ नाम)
 R.D.S.

